कहां चले गए उत्पीड़क जानवर?

नरेन्द्र देवांगन

क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारे जंगलों में अनेक ऐसे जंगली जानवर हुआ करते थे जिन्हें उत्पीड़क (वर्मिन) की संज्ञा दी गई थी। उत्पीड़क इसलिए कि या तो ये जंगलों के अनेक लाभकारी जानवरों के क्रूर शत्रु थे या जंगलों तथा नवरोपित वृक्षारोपण को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। उत्पीड़क जंगली जानवरों की सूची काफी लंबी थी, पर उनमें से कुछ ऐसे जानवर जिनको प्रायः सामान्य व्यक्ति भी जानता होगा, उनसे आपका परिचय कराना समीचीन होगा।

उत्पीड़क जानवरों की सूची में सर्वप्रथम नाम था जंगली कुत्तों का। वैसे कुत्ता मनुष्य का सबसे करीबी जानवर माना गया है। बाह्य रूप से देखने में जंगली कुत्ते प्रायः पालतू कुत्ते जैसे ही दिखते हैं। इनका रंग हल्का ललछाऊं होता है, और पूंछ झबरी होती है। ये कुत्ते 2-40 के झुंड में रहते हैं और विशुद्ध मांसाहारी होते हैं। पालतू कुत्तों की तरह ये भौंकते नहीं बल्कि हल्की सीटी तथा गुर्राने की आवाज़ें करते हैं। चीतल, सांभर, काला हिरन जैसे जानवर इनका भोजन हैं। परंतु ये कभी-कभी पैंथर, भालू, जंगली भैसों, बाइसन जैसे जानवरों को भी मार गिराते हैं। जंगल का राजा शेर भी इनसे बचकर रहता है। इनका शिकार करने का तरीका बड़ा ही क्रूर होता है। अपने शिकार को ये पहले दौड़ाकर थका देते हैं और जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो एक कुत्ता सामने कूदकर उनकी आंखें फोड़ देता है और लगभग उसी समय दूसरा कुत्ता पीछे से कूदकर पीठ पर चिपक जाता है और जानवर की आंतें निकाल देता है। जानवर छटपटाकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर कुत्तों का पूरा झुंड ज़िंदा छटपटाते जानवर को नोच-नोच कर खा जाता है। जंगली कुत्तों का इस प्रकार का क्रूर स्वभाव कभी-कभी पालतू कुत्तों में भी प्रशिक्षण से आ जाता है।

एक समय था जब जंगली कुत्ता मारने पर प्रति कुत्ता 20 रुपए का इनाम था। मारे हुए कुत्तों की पूंछ और खोपड़ी प्रस्तुत करना इनाम के लिए आवश्यक था। परंतु जंगली कुत्तों का एक दूसरा पक्ष भी है। चीतल, सांभर जैसे अन्य जानवरों की बढ़ती संख्या को संतुलित रखने में इनका बड़ा योगदान है। कुत्तों की क्रूरता को तो मनुष्य महसूस करते हैं परंतु प्रकृति ने कुत्तों के लिए तो यही स्वभाव बनाया है। बहरहाल, अब तो जंगलों की कमी के कारण जंगली कुत्तों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अब यह आवश्यक लगता है कि यदि इन कुत्तों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो थोड़े वर्षों में ये लुप्त हो जाएंगे। अतः अब जंगली कुत्तों को भी संरक्षित सूची में डाल दिया गया है। इनके शिकार पर कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

इसी प्रकार उत्पीड़क जंगली जानवरों की सूची में एक अन्य आम जानवर सियार भी था। वैसे सियार एक ऐसा जानवर है जो कुछ समय पहले तक न केवल जंगलों में बल्कि गांव-गांव में पाया जाता था। जहां कहीं भी छोटे-मोटे झाड़ी-जंगल होते थे, सियार का पाया जाना एक मामूली बात थी। जंगली कुत्तों की तरह सियार के विरुद्ध भी यह कहा जाता था कि वह जंगल के अनेक लाभकारी जानवरों जैसे चीतल, सांभर के बच्चों, जंगली मुर्गियों, उनके चूज़ों तथा अंडों की बड़ी हानि करता है। गांवों में गन्ना, मक्का आदि फसलों का भी सियार बड़ा नुकसान करता है। गोरखपुर वन प्रभाग के उत्तरी खंड में चिचलौल तथा डोमा वन खंडों में जंगली मुर्गों का बाहुल्य था परंतु दक्षिणी वन खंडों में जंगली मुर्गा एकदम खत्म हो गया था। इन वन खंडों में जंगली मुर्गों की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार जंगली मुर्गे छोड़े गए, परंतु सियारों की अधिक संख्या होने के कारण ये नहीं पनप पाए।

पहले इस क्षेत्र में सियारमरवा नामक एक जनजाति हुआ करती थी जिनका पेशा था गांवों के पास के सियारों को पकड़ना और शायद उनकी खाल बेचकर ये लोग जीवन यापन करते थे। एक खण्ड में जहां जंगली मुर्गों को छोड़ना प्रस्तावित था, वहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि सियारों की संख्या बहुत कम कर दी जाए, सियारमरवा

जाति के एक परिवार को आमंत्रित किया गया कि वह इस क्षेत्र के सियारों को पकड़ ले। उत्सुकतावश वन विभाग के कर्मचारी यह देखना चाहते थे कि सियारमरवा जाति के लोग सियारों को कैसे पकड़ते हैं। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। लगभग 4 बजे संध्या का समय था। कर्मचारियों ने देखा कि सियारमरवा परिवार के पास 8-10 देशी कुत्ते थे, देखने में साधारण पर शायद अपने काम में निपुण। सियारमरवा परिवार के दो अधेड़ व्यक्तियों ने मुंह से सियार की हुआं-हुआं जैसी आवाज़ निकालना शुरू की। थोड़ी देर में जंगल के पास और अंदर से वहां पर रह रहे सियारों की हुआं-हुआं सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर कुत्तों ने एकदम सियारों पर आक्रमण कर दिया और कइयों को मारकर पकड़ लाए। लगभग 2 घंटे के अंदर 50-60 सियारों का काम तमाम हो गया। इस वन खण्ड में कुछ समय बाद जंगली मुर्गे छोड़े गए। कहना न होगा कि जंगली मुर्गों के पुनर्वास का यह प्रयोग सफल हो गया। कई वर्ष बाद वहां वन कर्मचारियों ने फिर सर्वे किया तो पाया कि वहां न केवल जंगली मुर्गे हैं बल्कि सियार भी दिखाई दिए। संभवतः दोनों का प्राकृतिक संतुलन हो गया होगा।

लेकिन बाद में इस प्रकार की सूचना मिलने लगी कि सियारों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा है। कश्मीर, राजस्थान एवं अन्य कई राज्यों में मरे सियारों का फरयुक्त चमड़ा विदेशों में भेजा जाने लगा था और इस प्रकार सियारों के ऊपर कयामत आ गई। ऐसा आभास होने लगा कि यदि समय रहते सियारों को संरक्षण नहीं दिया गया तो इनकी प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी। एक तो गांव-गांव के जंगलों का सफाया और दूसरा फर की तस्करी से सियारों की संख्या बहुत कम हो गई है। रात्रि में हुआं-हुआं की आवाज़ एक सामान्य घटना हुआ करती थी, अब यह आवाज़ संभवतः टेप रिकॉर्डरों के माध्यम से ही सुनी जा सकती है। उत्पीड़क वर्ग में सियार को मारने पर 10 रुपए का इनाम था, परंतु अब इसे भी संरक्षित घोषित कर दिया गया है। अब इसके मारने पर भी दण्ड का प्रावधान है।

जंगलों में, विशेषकर जहां वृक्षारोपण किया जाता था वहां पर उत्पीड़क जानवरों की सूची में एक छोटा-सा जानवर हुआ करता था, जिसे 'साही' (अंग्रेज़ी में 'पार्कुपाइन') कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 47 से.मी. होती है और पूंछ लगभग 27 से.मी.। यह एक बड़े चूहे की तरह होता है। अंतर यह है कि इसके पूरे शरीर पर कील की तरह लंबे-लंबे कांटे होते हैं। कुछ कांटे तो 20-25 से.मी. लंबे होते हैं। जब खतरा होता है तो यह अपने कांटों को खड़ा कर लेता है। इसका मांस बड़ा स्वादिष्ट माना जाता है। इन्हें शेर तक अपना भोजन बनाता है। कई बार मरे हुए शेरों के पंजे में इसके कांटे मिलते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस जानवर को क्यों उत्पीड़क जानवरों की सूची में रखा गया था। साही वृक्षारोपण के क्षेत्र में बहुत नुकसान पहुंचाता है। जहां पर साही होते हैं वहां कुछ लाभकारी वृक्ष जैसे सेमल अथवा चिउरा (पहाड़ी महुआ) का वृक्षारोपण सफल करना लगभग असंभव हो जाता है। यह पौधों की जड़ों को कुतरकर खा जाता है, जिससे पौधा सूख जाता है। नैनीताल की पहाड़ी के नीचे चिउरा का वृक्षारोपण साही के नुकसान से असफल हो गया था। सेमल के रोपण के लिए यह तरीका अपनाया गया कि सेमल की पौध, खेर वृक्षों की पौध के बीच में लगाई जाए। खेर में कांटे होने के कारण साही सेमल के पौधों को नहीं खा पाती है। वृक्षारोपण क्षेत्र में साही को मारने पर इनाम था। परंतु इसे मारना आसान नहीं था। कहते हैं कि इसके कांटे जब खड़े रहते हैं तो मारने पर लाठी भी टूट जाती है पर यदि लाठी मुंह पर लग गई तो इसकी मौत हो जाती है।

वर्तमान समय में साही की संख्या जंगलों में बहुत कम हो गई है। संभवतः इसका एक कारण फसलों और वृक्षारोपण क्षेत्र में ज़हरीली कीटनाशक दवाइयों का बहुतायत से प्रयोग होना भी है। अब इसे भी संरक्षित जानवर की सूची में रख दिया गया है। ***(स्रोत फीचर्स)***